

उत्तर प्रदेश सरकार
सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग
(प्रेस प्रभाग)
संख्या— /सू०एवंज०सं०वि०(प्रेस)—2018
लखनऊ दिनांक 2018

सेवा में,
निदेशक,
संजय गांधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान,
लखनऊ।

प्राधिकार पत्र

(उत्तर प्रदेश शासन के सूचना अनुभाग-1 के शासनादेश संख्या-382/उन्नीस-1-2014-123/2012 दिनांक 13 मार्च, 2014 द्वारा निर्गत "उत्तर प्रदेश मीडिया प्रतिनिधि रिवाल्विंग फण्ड नियमावली, 2014" के द्वारा लखनऊ में राज्य मुख्यालय पर मान्यता प्राप्त पत्रकारों को संजय गांधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान, लखनऊ में प्रदत्त निःशुल्क चिकित्सा सुविधा के क्रम में निम्नांकित विवरणानुसार राज्य मुख्यालय पर मान्यता प्राप्त पत्रकारों को निःशुल्क उपलब्ध कराने हेतु।)

- | | |
|---|-----------------------------------|
| 1. रोगी/पत्रकार का नाम..... | पत्रकार
की
प्रमाणित
फोटो |
| 2. स्थाई पता..... | |
| 3. दूरभाष नं०..... | |
| 4. मीडिया संस्थान का नाम एवं पता..... | |
| 5. पहचान चिन्ह..... | |
| 6. मान्यता कार्ड की संख्या एवं वैधता की तिथि..... | |
| 7. रोगी/पत्रकार का हस्ताक्षर..... | |

सूचना निदेशक/सक्षम
प्राधिकारी का हस्ताक्षर